कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

क्रमांक – जेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईडी/20–21/92 दिनांक – 08.05.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर।

विषयः– वरिष्ठ अध्यापको के विभिन्न विषयों की वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु अस्थाई पात्रता सूची जारी करने के क्रम में।

प्रसंगः– निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशांक :– शिविरा–माध्य/संस्था–एफ–1ए /डीपीसी/2020 दिनांक 07.05.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जोधपुर मण्डल के वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों की वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची ईमेल द्वारा भिजवाई जा रही है। पात्रता सूची का व्यापक प्रचार व प्रसार कर आपत्तियां प्राप्त करें। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर एवं संलग्न पात्रता सूची का जिले की वरिष्ठता सूचियों से मिलान कर पात्रता सूची में कॉलम संख्या 09 से 18 तक की पूर्ति कर दिनांक 15.05.2020 को ही इस कार्यालय में अनिवार्यतः भिजवाने की कार्यवाही करेंगे।

इस संबंध में लेख है कि ईमेल की गई पात्रता सूची में अंकित आप अपने जिले से संबंधित कार्मिकों से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं की सूचना अवश्य पूर्ण करें।

1. ईमेल की गई पात्रता में सभी कार्मिकों का वरिष्ठता सूची में जिले का नाम अंकित है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने जिले से संबंधित सभी कार्मिकों की उक्त निर्धारित प्रपत्र की पूर्ण व सही सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। किसी भी कार्मिक के संबंध में यह प्रत्युत्तर नही दिया जावें की वह कार्मिक उनके जिले के अधिन कार्यरत नही है। यदि कोई कार्मिक, जिस अवधि की वरिष्ठता सूची में उसका नाम दर्ज है एवं उस अवधि के बाद वह किसी अन्य जिले में स्वैच्छा से स्थानान्तरण करवा कर चला गया है, तो ऐसे कार्मिको का नाम संबंधित अवधि की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित करते हुए विलोपन आदेश की प्रति सूचना के साथ आवश्यक रूप से भिजवायेगें।
2. यदि पात्रता सूची में अंकित कोई कार्मिक डीपीसी से चयनोपरान्त अथवा सीधी भर्ती से किसी उच्च पद पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 10 व 11 की पूर्ण पूर्ति करते हुए दी जावे। अथवा यदि कार्मिक किसी अन्य विभाग में चला गया हो तो उसका विवरण प्रपत्र के कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से अंकित किया जावें।
3. **पात्रता सूची मे अंकित किसी कार्मिक द्वारा यदि स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली गई हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावें। गत कई वर्षो से यह देखा गया है कि आप द्वारा सही सूचना उपलब्ध नही करवाने के कारण मृत कार्मिकों/स्वैच्छापूर्वक स्थानान्तरण पर गये कार्मिकों आदि अपात्र अभ्यार्थियों का डीपीसी में चयन हो जाता है। इस पात्रता सूची में यदि आप द्वारा अपूर्ण सूचना के कारण किसी अपात्र अभ्यर्थी का चयन हुआ तो उसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उतरदायी होगे।**
4. पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों की बीएड य़ोग्यता, जन्मतिथि, वर्ग एवं लिंग आदि का सत्यापन आप अपने स्तर पर अवश्य कर लें एवं इसमें किसी परिवर्तन की स्थिति हो तो

www.rajteachers.com

उसका संशोधन आदेश जारी कर आदेश की प्रति सूचना के साथ आवश्यक रूप से भिजवायेगें।

5. इसी तरह यदि आपके जिले में किसी तृतीय श्रेणी अध्यापक का नाम पात्रता सूची में अंकित नही होने की स्थिति में उसका नामांकन आदेश निर्धारित प्रपत्र में जारी कर आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवायेगें।

उक्त वांछित सूचना को पूर्ण महत्वता प्रदान करते हुए गंभीरता के साथ ले तथा निर्धारित प्रपत्रों के सभी कॉलमों की आवश्यकतानुसार पूर्ण पूर्ति आवश्यक रूप से की जावें।

संलग्नः– निदेशालय के आदेश दिनांक 07.05.2020 की प्रति।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
जोधपुर संभाग, जोधपुर

क्रमांक – जेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईडी/20–21/92 दिनांक – 08.05.2020

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को सूचनार्थ।
2. रक्षक पंजिका।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
जोधपुर संभाग, जोधपुर

www.rajteachers.com